



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1927/MH/94/2023-RO-BH

दिनांक: 15.07.2024

सेवा में,

डॉ. विपीन इटनकर,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, नागपुर,
कलेक्टर कार्यालय,
सिविल लाइन्स,
नागपुर-440001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector_nagpur@maharashtra.gov.in
collector_nagpur@rediffmail.com
फोन नं. :7060731408,

विषय: श्री भाउदास चैतराम उईके, शिवगंगा अपार्टमेंट, फ्लेट नं.403, विठ्ठल रूखमनी मंदिर के सामने, पो. बेसा बेलतरोडी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)-आवेदक के प्लॉट पर जाने हेतु रास्ता प्रदान नहीं करने के सम्बंध में दिनांक 16.06.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.06.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 23.07.2024 को अप्राह्न 02:40 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदय (जा. हु.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।